भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2227
उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2026
15 श्रावण, 1948 (शक)

खेलो भारत नीति

2227 श्री मदन राठौड़:
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:
डा. संदीप कुमार पाठक:
श्री नरेश बंसल:
श्री राजेश परमानंद शुक्ल:
श्रीमती साधना सिंह:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेलो भारत नीति, 2025 को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) खेलो भारत नीति के अंतर्गत जमीनी स्तर के खेल अवसंरचना, प्रतिभा पहचान, खेल विज्ञान, प्रशिक्षण तथा खिलाड़ी विकास को सुदृढ़ करने हेतु किए गए उपायों और देश भर में खेलो इंडिया केंद्रों की स्थिति का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खेल पारितंत्र को सुदृढ़ करने हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), खेल उद्यमिता तथा स्टार्टअप के माध्यम से निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु कोई तंत्र प्रारंभ किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस नीति के अंतर्गत विशेषकर 2036 के ओलंपिक खेलों हेतु भारत की तैयारियों तथा भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के संबंध में परिकल्पित लक्ष्य तथा परिणाम क्या हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) जी हां। खेलो भारत नीति (केबीएन) 2025 का उद्देश्य भारत में एक सुदृढ़, समावेशी एवं प्रदर्शन-उन्मुख खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। केबीएन 2025 का कार्यान्वयन केंद्र सरकार

अपनी मौजूदा स्कीमों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से करती है, जिनका संचालन निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं प्रतिवेदित रूपरेखा के अंतर्गत किया जाता है। इस नीति को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों के साथ समन्वय से खेल विभाग तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की विद्यमान स्कीमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) खेलो भारत नीति, 2025 के अंतर्गत खेलों के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ), शैक्षणिक संस्थानों, निजी क्षेत्र तथा अन्य हितधारकों के बीच समाभिरूपता के माध्यम से सम्पूर्ण सरकार की रूपरेखा प्रदान की जाती है। जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था देशभर में कार्यशील 1,066 खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) के माध्यम से की जाती है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम (एएनएसएफ) के अंतर्गत, यह विभाग जमीनी स्तर पर खेलों के विकास, प्रतिभा की पहचान, खेल विज्ञान, प्रशिक्षण तथा एथलीटों के विकास के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ताकि खेल स्पर्धाओं में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा सके। खेल विज्ञान एवं प्रशिक्षण मानकों को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक खेलो इंडिया एथलीट को प्रतिवर्ष 6.28 लाख रु. की सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, उपकरण, भोजन, बीमा तथा 10,000 रु. प्रतिमाह का आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता शामिल है।

(ग) सरकार खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियों तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) जैसी पहलों के माध्यम से खेल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 18.06.2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए 'खेल गतिविधियों के विकास' की एक साझे सीएसआर थीम के रूप में पहचान की गई है।

(घ) खेलो भारत नीति (केबीएन) 2025 का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान, खेल अवसंरचना, एथलीटों के लिए सहायता तथा शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करके भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, ताकि ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के प्रदर्शन में सुधार किया जा सके तथा वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की तैयारियों में सहायता प्रदान की जा सके। केबीएन विभिन्न खेल विधाओं में प्रतिभा की पहचान, संरचित प्रशिक्षण, खेल विज्ञान/चिकित्सा सहायता तथा राज्यों में वित्तपोषण तंत्र को सुदृढ़ करती है, जिससे व्यापक आधार वाले एथलीटों का टैलेंट पूल तैयार हो सके।
